

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुरेश पिता धनराज धाकड़ निवासी सुखपुरा तहसील बडीसादडी हाल अहमदाबाद
बनाम

कन्हैयालाल उर्फ भूरा पिता सुरेश धाकड़ निवासी सुखपुरा तहसील बडीसादडी वगैरा

प्रकरण संख्या 183 / 2022 (रा.अ.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.06.23	<p>अपीलांट द्वारा मय उभय पक्ष के अधिवक्ता के उपस्थित होकर अपील विद्धों करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली सिगह से तलब करने पर पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः अपील को विद्धों में खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टगण को इस हेतु कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>चूंकि अपीलांट अब उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर अपील विद्धों करने का निवेदन किया है। अतः अपील विद्धोंवल में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(अभिषेक गोयल) अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़</p>	<p>23/6/23</p> <p>23/6/23</p> <p>23/6/23</p>